न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–14/2019 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2019/00083

उनवान

1. रजन आयु 75 वर्ष पुत्र हरवीर
2. चेतराम आयु 45 वर्ष
3. भरत आयु 40 वर्ष
4. अमृत आयु 35 वर्ष
5. मेवाराम आयु 32 वर्ष

पुत्र रजन जातियान गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. दीप सिंह आयु 82 वर्ष पुत्र नारायण सिंह जाति गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. जगदीश आयु 58 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी ऊलूपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 26.04.2019 उनवानी दीप सिंह बनाम रजन सिंह प्र0स0 44/18

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुंतल उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–07.12.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 26.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1323/715 व 714/1 वाके ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर में स्थित है। जिसके प्रार्थी/असल रैस्पो0 खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। विवादित आराजी से अप्रार्थी/अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 714 व 715 लगे हुये हैं। प्रार्थी/असल रैस्पो0 की उक्त आराजी से अप्रार्थी/अपीलाण्ट का कोई संबंध व सारोकार नहीं है। परन्तु अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी को लट्ठ के बल पर हडपना चाहते हैं एवं आये दिन डौल–मेड को तोड कर कब्जा करने पर उतारू रहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थी/अपीलाण्ट को पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में ना तो प्रकरण के तथ्यो का उल्लेख किया एवं ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बारे में कोई भी उल्लेख किया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नोन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पक्षकारान के मध्य कुर्रेजात आपसी सहमति से दिनांक 22.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में हुये थे तथा मुताबिक कुर्रेजात राजस्व अभिलेख में भी विभाजन का अंकन हो गया। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पैमाईश के मौके पर कब्जे की यथास्थिति के आदेश देने में भारी भूल की है। मुख्य विवाद के निपटारे हेतु अधीनस्थ न्यायालय को विभाजित भूमि के बटवारे के नक्शे एवं रिकार्ड के मुताबिक पैमाईश करते हुये मौके पर पत्थर घडी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं होने के कारण काबिले खारिजी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 714 व 714/1 की पैमाईश की जाकर पत्थर घडी के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2019(1) पेज 217 का उद्धरण पेश किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अत्यन्त सूक्ष्म एवं अस्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना नही की जाकर, मात्र दो पंक्ति का अपीलाधीन आदेश यह अंकित करते हुये पारित किया है कि "अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वादग्रस्त आराजी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर के आराजी खसरा नम्बा 1323/715 व आराजी खसरा नम्बर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

714/1 पर उभयपक्ष मौके पर कब्जा की स्थिति मूलवाद के निर्णय तक यथावत बनाये रखें'' इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में ना तो प्रकरण के तथ्यो, अभिभाषक उभयपक्ष की बहस का ही उल्लेख किया एवं ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बारे में ही कोई विवेचना की गयी है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश स्पष्टतः नोन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने फार्म संख्या 03 के साथ विवादित आराजी के बॅटवारा बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये, विभाजित भूमि के बटवारे के नक्शे एवं रिकार्ड के मुताबिक पैमाईश करते हुये मौके पर पत्थर घडी करवाये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 714 अप्रार्थी/अपीलाण्ट को एवं खसरा नम्बर 714/1 प्रार्थी/रैस्पो0 दीप सिंह को बॅटवारे में मिलना प्रकट होता है एवं प्रकरण में मुख्य विवाद भी विवादित खसरा नम्बरान की सीमाओ का है। अतः अभिभाषक अपीलाण्ट का उक्त तर्क सारपूर्ण प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 26.04.2019 अपास्त किये जाकर, उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। यदि अधीनस्थ न्यायालय विवाद के निपटारे हेतु पैमाईश करना उचित समझे तो, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिअनुसार पैमाईश करायी जाकर पत्थर घडी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.12.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर